रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102022-239467
CG-DL-E-08102022-239467

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 681] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 7, 2022/आश्विन 15, 1944
No. 681] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 7, 2022/ASVINA 15, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2022

सा.का.नि. 767(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29) की धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (च) के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग के परामर्श से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) नियम, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:--

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2022 है ।

(2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) नियम, 2022 की अनुसूची में,--

(क) 'अवर सचिव' के पद से संबंधित स्तंभ (11) के 'प्रतिनियुक्ति' शीर्ष के खंड 1 के उपखंड (ग) में "आठ वर्ष" शब्दों के स्थान पर "छह वर्ष" शब्द रखे जाएंगें;

(ख) 'अनुभाग अधिकारी' के पद से संबंधित स्तंभ (11) के 'प्रतिनियुक्ति' शीर्ष के खंड 1 के उपखंड (ख) में "या स्तर-6 में (35400-112400 रूपये) या संयुक्त रूप से दोनों में आठ" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर

"में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो या स्तर-6 (35400-112400 रूपये) में आठ" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगें;

(ग) 'सहायक अनुभाग अधिकारी' के पद से संबंधित स्तंभ (10) की प्रविष्टि के स्थान पर "प्रतिनियुक्त जिसके न होने पर सीधी भर्ती" शब्द रखे जाएंगें;

(घ) 'निजी सचिव' के पद से संबंधित स्तंभ (11) के 'प्रतिनियुक्ति' शीर्ष के खंड 1 के उपखंड (ख) में "आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो या स्तर-6 में (35400-112400 रूपये) में दस" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो या स्तर-6 (35400-112400 रूपये) में आठ" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगें;

(ङ) 'निजी सहायक' के पद से संबंधित स्तंभ (10) की प्रविष्टि के स्थान पर "प्रतिनियुक्त जिसके न होने पर सीधी भर्ती" शब्द रखे जाएंगें;

(च) 'कनिष्ठ अनुवादक (राजभाषा)' के पद से संबंधित स्तंभ (10) की प्रविष्टि के स्थान पर "प्रतिनियुक्त जिसके न होने पर सीधी भर्ती" शब्द रखे जाएंगें।

[फा. सं. क्यू-15014/01/2022-सीपीए]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 531(अ), तारीख 11 जुलाई, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2022

G.S.R. 767(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (9) of section 11 read with the clause (f) of sub-section (2) of section 25 of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021), the Central Government, in consultation with the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas, hereby makes the following rules to amend the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (salaries, allowances and conditions of service of the officers and staff of the Commission) Rules, 2022, namely:—

1. (1) These rules may be called the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (salaries, allowances and conditions of service of the officers and staff of the Commission) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (salaries, allowances and conditions of service of the officers and staff of the Commission) Rules, 2022, in the Schedule,—

(a) relating to the post of 'Under Secretary', in column (11), in the heading 'Deputation', in clause 1, in sub-clause (c), for the words "Eight years'", the words "Six years'" shall be substituted;

(b) relating to the post of 'Section Officer', in column (11), in the heading 'Deputation', in clause 1, in sub-clause (b), for the words, figures, brackets and letters, "Eight years' regular service in the level 7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix or ten years", the words, figures, brackets and letters, "Five years' regular service in level 7 (Rs. 44900 – 142400) in the pay matrix or eight years' ", shall be substituted;

(c) relating to the post of 'Assistant Section Officer', in column (10), for the entry, the entry "Deputation failing which direct recruitment." shall be substituted;

(d) relating to the post of 'Private Secretary', in column (11), in the heading 'Deputation', in clause 1, in sub-clause (b), for the words, figures, brackets and letters, "Eight years' regular service in the level 7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix or Ten years'", the words, figures, brackets and letters, "Five years' regular service in level 7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix or eight years'" shall be substituted;

(e) relating to the post of 'Personal Assistant', in column (10), for the entry, the entry "Deputation failing which direct recruitment." shall be substituted;

(f) relating to the post of 'Junior Translator (OL)', in column (10), for the entry, the entry "Deputation failing which direct recruitment." shall be substituted.

[F. No. Q-15014/01/2022-CPA]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 531(E), dated the 11th July, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.10.08 11:33:16 +05'30'